न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 69 / 2017

प्रार्थीगण–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
1. सोहनगिरी पुत्र चन्दरगिरी 2. मदनगिरी पुत्र चन्दरगिरी 3. राजेशगिरी पुत्र मदनगिरी जाति स्वामी (गोस्वामी) निवासी समदड़ी स्टेशन तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत समदड़ी जिला बाड़मेर 2. आसाराम पुत्र त्रिलोकजी 3. मोतीराम पुत्र दानाजी जाति कलबी निवासी समदड़ी स्टेशन तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 36 मिसल सं. 135 / 2009–10 दिनांक 18.12.2009 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी स्टेशन द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 30 / 12 / 2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत ग्राम समदड़ी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 36 दिनांक 18.12.09 को जारी किया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 2100 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत समदड़ी का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से कब्जा एवं आधिपत्य का परिसर मौजा समदड़ी में आया हुआ हैं जिसका पट्टा सं. 82 दिनांक 19.02.1977 प्रार्थी सं. 1 कर्ता खानदान के नाम से जारी हैं। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा ग्राम पंचायत समदड़ी गलत तथ्य प्रस्तुत कर आलौच्य पट्टा सं. 36 दिनांक 18.12.2009 जारी कराया गया हैं। ग्राम पंचायत समदड़ी ने अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में प्राथी सं. 1 के विवादित परिसर के उत्तर मे चलने वाली गली की पांच फीट जमीन सम्मिलित करते हुए तथा पूर्व दिशा में 15 फीट पंचायत की जमीन पर भी अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अपने भूखण्ड के साथ जोड़कर 60 फीट का पट्टा जारी करवाया गया हैं, जबकि उक्त 15 फीट भूमि पर प्रार्थी का गत 45 वर्षों से पुराना कब्जा व स्वामित्व था। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये अप्रार्थी सं. 2 व 3 को निजी लाभ पहुंचाने की नियत से प्रार्थीगण की 40 वर्ष पुरानी पट्टाशुद भूमि का दुबारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक सम्पत्ति बाबत ग्राम पंचायत द्वारा किसी के पक्ष में पट्टा निष्पादित कर दिया जाता हैं तो उसी सम्पत्ति का के संबंध में पुनः अन्य व्यक्ति के नाम

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पट्टा जारी करने की विधिक अधिकारिता नहीं हैं तथा इस आधार पर आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य हैं।

4. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के किन्ही भी प्रावधानों की पालना नहीं की गई हैं। अप्रार्थी सं. 2 आसाराम के आलौच्य पट्टे में उल्लेखित रसीद सं. 1802 के द्वारा रकम पंचायत को प्राप्त होना लिखा है जबकि उक्त रसीद आसाराम के नाम जारी नहीं होकर ग्राम पंचायत की दुकान के किरायेदार चुन्नीलाल के नाम से जारी है। अप्रार्थी सं. 2 आसाराम ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं उस पर शपथ आयुक्त की गोल मोहर अंकित हैं किन्तु शपथ आयुक्त के हस्ताक्षर अंकित नही हैं। आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जारी सूचना दिनांक 05.09.2009 के चस्पांकन की कोई इबारत नहीं लिखी गई हैं। अप्रार्थी के आवेदन पत्र में विवादित भूखण्ड पर पुराना कब्जा होने का कोई तथ्य अंकित नहीं हैं और न ही मौका निरीक्षण करने का बताया गया हैं। आलौच्य पट्टा के भूखण्ड का मौका निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन नहीं किया गया हैं जबकि आदेशिका में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पेश होना अंकित किया गया है, जिसमें निरीक्षण की दिनांक अंकित नही हैं। इस प्रकार प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित हैं कि अप्रार्थीगण ने सरपंच से मिलीभगत करके गलत एवं कूटरचित तरीके से आलौच्य पट्टा निष्पादित किया हैं जिसका विधि एवं व्यवहार में कोई प्रभाव नही होने से खारिज योग्य हैं, लिहाजा प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा सं. 36 दिनांक 18.12.2009 निरस्त फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि प्रार्थीगण मूल निवासी नागौर के हैं तथा प्रार्थी सं. 2 व 3 पिछले कुछ सालों से समदड़ी स्टेशन पर रहते हैं। प्रार्थी सं. 1 के नाम से ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा नियमों के प्रतिकूल साजशी रूप से पट्टा सं. 82 जारी किया

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गया था जिसे तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा स्वेप्रेरण से संज्ञान लेते हुए अपने आदेश दिनांक 07.01.1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। प्रार्थीगण ने इस तथ्य को छिपाकर निगरानी प्रार्थना पत्र में कब्जे के संबंध मे सारे गलत एवं निराधार तथ्य अंकित कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया हैं। ग्राम पंचायत समदड़ी की आबादी भूमि में अप्रार्थी सं. 2 की कदीमी आवासीय भूमि आई हुई हैं, जिसका पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली सं. 135/2009-10 कायम कर नक्शा फीस 50 रूपये जमा की गई थी। प्रार्थीगण द्वारा इस निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथाकथित रसीद सं. 1802 से अप्रार्थी सं. 2 के पट्टे से कोई सम्बन्ध नही हैं। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत शपथ पत्र यदि सत्यापित नहीं हैं तो इससे आलौच्य कार्यवाही की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं क्योंकि नियमों में शपथ पत्र दिये जाने की आवश्यकता नही हैं। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों की सम्पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में नियम 157(ख) के तहत दिनांक 18.12.2009 को पट्टा सं. 36 जारी किया गया हैं, जिसे उप पंजीयक कार्यालय सिवाना में पंजीयन कराया गया हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र गलत व निराधार एवं अप्रार्थी सं. 2 को परेशान करने की नियत से पेश किया गया हैं जो व्यय सहित खारिज फरमाया जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि विवादित भूमि का पट्टा सं. 82 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा 1977 में जारी किया गया था जिस पर गलत रूप से वर्ष 2009 में पुनः अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी कर दिया है, इसके जवाब में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 का कथन हैं कि प्रार्थी सं. 1 के पक्ष में वर्ष 1977 में जारी किया गया पट्टा सं. 82 तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए जांच उपरांत निरस्त कर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिया था। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रकट किया गया हैं जिसके आधार पर प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 के आवेदन पर दिनांक 05.09.2009 को सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का नोटिस जारी किया गया हैं तथा दिनांक 06.10.2009 तक कोई आपत्ति पेश नहीं होने पर आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं, इस प्रकार प्रार्थीगण के अधिवक्ता का यह कथन भी मानने योग्य नहीं हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही संस्थित नहीं की तथा उन्हे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया हैं कि अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से तस्दीक शुदा हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत की कार्यवाही के बाबत प्रार्थीगण द्वारा इस निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आक्षेप साबित नहीं होते हैं बल्कि स्वंय प्रार्थीगण ने ही अपने खारिजशुदा पट्टे के सम्बन्ध में तथ्य छिपाकर विवादित भूमि को अपने स्वामित्व व आधिपत्य की होना बताते हुए न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया हैं। अतः प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर किसी भी दशा में स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Ansh

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2020.01.23 11:33:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: